न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 33/2021

1 देवकरण पुत्र चुनाराम।
1/1 सजना देवी पत्नी देवकरण।
1/2 मनफुल सिंह पुत्र देवकरण।
1/3 सुभाषचन्द्र पुत्र देवकरण।
1/4 निर्मला पुत्री देवकरण।
2 लेखु पुत्र चुनाराम।
3 बनवारी पुत्र चुनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण पीपल का बास पटवार हल्का महरादासी तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सोहनलाल पुत्र मालाराम।
2 मोहनलाल पुत्र मालाराम।
3 रामलाल पुत्र मालाराम समस्त जाति जाट निवासीगण पीपल का बास पटवार हल्का महरादासी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।
4 मदनलाल पुत्र झाबरमल।
5 जगदीश प्रसाद पुत्र झाबरमल।
6 धन्नी पत्नी झाबरमल समस्त जाति जाट निवासीगण पीपल का बास हाल आबाद ढ़ाढ़ण तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
7 मुलचन्द पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास पटवार हल्का महरादासी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।
8 ताराचन्द पुत्र रामकोरी।
9 प्यारेलाल पुत्र रामकोरी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनं)

10 त्रिलोकचन्द पुत्र रामकोरी समस्त जाति जाट निवासीगण बिराणियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
11 मनी पुत्री चुनाराम।
12 दुर्गाराम पुत्र सुरजाराम।
13 मैनपाल पुत्र सुरजाराम।
14 हनुमान पुत्र सुरजाराम।
15 रामकुमार पुत्र सुरजाराम।
16 मनभरी पुत्री सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण पीपल का बास पटवार हल्का महरादासी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।
17 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय झुंझुनू बउनवानी सोहनलाल वगैरह बनाम मदनलाल वगैरह मुकदमा नम्बर 08/2018 अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ
निर्णय दिनांक 26.03.2021

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 30.1.2024

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2018 में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने आवेदन धारा 251 ए प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 91 के पास स्थित रास्ते से खसरा नम्बर 84, 85, 86 में से मौके पर अवस्थित 5 फीट के रास्ते को 10 फीट को करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपने आदेश दिनांक 24.01.2020 को तहसीलदार झुन्झुनू को आदेश पारित किया था कि आप स्वयं विवादित रास्ते की पक्षकारों की मौजुदगी में मौका निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट रास्ता प्रावधानों के तहत पेश करें परन्तु तहसीलदार ने स्वयं मौका मुआयना ना कर नायब तहसीलदार मण्डावा को मौका रिपोर्ट हेतु भेज दिया व नायब तहसीलदार मण्डावा ने बिना किसी को नोटिस दिये व अपने दफ्तर में ही रामलालसिंह के कहे अनुसार रिपोर्ट बना दी व उक्त रामलालसिंह को ही दस्ती रिपोर्ट दे दी जो कि अदालत के आदेशिका दिनांक 25.01.2021 के अनुसार प्राप्त हुई व उक्त रिपोर्ट की नकल लेते ही अपीलान्ट ने एतराज रिपोर्ट नायब तहसीलदार मण्डावा के बाबत एतराज पेश कर दिये व उक्त एतराज के बाबत ही मिसल बहस में चल रही थी व अदालत मातहत ने एतराज बाबत बहस सुन ली व अपीलान्ट ने भी अपनी लिखित बहस एतराज बाबत पेश कर दी परन्तु अदालत मातहत ने अपनी आदेशिका दिनांक 23.03.2021 में अन्तिम बहस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सुनना दर्ज करके मिसल को आदेश में दिनांक 26.03.2021 नियत करने में गलती कानुनी की है। अदालत मातहत ने इस तरफ गौर किया कि आर्डरशीट दिनांक 12.02.2021, 15.02.2021, 18.02.2021, 26.02.2021, 08.03.2021, 12. 03.2021, 19.03.2021 की आर्डरशीट में वास्ते बहस रिपोर्ट नायब तहसीलदार मण्डावा के खिलाफ एतराज पर बहस हेतु नियत थी परन्तु अदालत मातहत ने बिना ऐतराज रिपोर्ट पटवारी पर निर्णय करने के अन्तिम निर्णय हेतु मिसल नियत कर दिनांक 26.03.2021 बिना अन्तिम बहस सुने निर्णय पारित करने में गलती कानुनी की है। अदालत मातहत की मिसल पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट 07.05.2018 व पटवारी हल्का की रिपोर्ट 20.02.2020 को यह मानकर खारिज किया था कि कोई एलआर या तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं है। उक्त दोनों रिपोर्ट में जमीन जैर बहस खसरा नम्बर 62, 63, 64 व 65 के पूर्व तरफ से व उतरी तरफ से रास्ता जाना बताया है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 84, 85, 86 व 61 में से भी रास्ता रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है। अदालत मातहत ने इस तरफ गौर नहीं किया कि जो रास्ता रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है क्या उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का आदेश दिया जाना चाहिये था इस बाबत अदालत मातहत ने गौर ना कर अपीलान्टस के खिलाफ निर्णय पारित करने में गलती कानुनी की है। नायब तहसीलदार ने बिना पक्षकारों को नोटिस दिये अपने चैम्बर में बैठकर के ही मौका रिपोर्ट बनाई है मौके पर नायब तहसीलदार ने अगर मौका मुआयना किया होता तो खसरा नम्बर 61 के पश्चिमी तरफ से खसरा नम्बर 62, 63, 64, 65 में जाने के लिये सबसे कम दुरी की जगह बनती है व कानुनन भी न्युन से न्युन दुरी का रास्ता दिया जाना चाहिए खसरा नम्बर 84, 85, 86 व 61 अपीलान्ट की सह खातेदारी की भूमि है व अदालत मातहत ने अपीलान्ट के काश्त की भूमि के मध्य में से रास्ता देकर के अपीलान्ट के खाते की जमीन को दो भागों में विभाजन करने के लिये निर्णय पारित करने में अदालत मातहत ने गलती कानुनी की है। अदालत मातहत ने इस तरफ गौर नहीं किया कि दरखवास्त देहन्दा ने जिस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

जगह से रास्ता चाहा था उक्त रास्ते के बाबत जांच नहीं की व अपीलान्ट ने अपने जबाब में जो रास्ता बतलाया था उक्त बाबत अदालत मातहत ने गौर ना कर अपीलान्ट के खिलाफ आदेश पारित करने में गलती कानुनी की है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किय जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि आवेदक को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता स्वीकृत तथ्य है। प्रकरण में दो बार रिपोर्ट आ चुकी है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट को आपत्ति का अवसर प्रदान कर आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.01.2020 में विचारण न्यायालय ने स्पष्ट आदेश पारित किये है कि तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र में विवादित रास्ता भूमि बाबत आप स्वयं पक्षकारों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट रास्ता प्रावधानों के तहत पेश करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 27.02.2020 को पेश हो। इस आदेश की पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 27.07.2020 तैयार की गई है। यह मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की जाकर नायब तहसीलदार तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को सूचित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में इस रिपोट के आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के ऐतराज एवं मूल आवेदन का निस्तारण एक ही दिन कर दिया है। इससे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांट को निगरानी का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण भी विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर उभयपक्ष की आपत्ति सुनवाई के उपरांत प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायलय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)